मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 66400/97

अवैध दीवार गिराई, मंदिर छोड़ दिया 3
डेयरियों के पास इसी महीने हटने का आखिरी मौका 4
पटौदी महापंचायत में अम्मू का जहरीला भाषण 5
स्टैन स्वामी और उनका हत्यारा दस सिर वाला रावण 6
श्रीराम धर्मार्थ सोसाइटी की संयुक्त कमेटी एसडीएम ने नहीं बनाई 8

वर्ष 34 | अंक 35 | फरीदाबाद | 11-17 जुलाई 2021 | फोन-8851091460 | 3.00 ₹

पुलिस फार्म हाउस मालिकों की सूची तलाश रही, जबकि पुरानी एफआईआर पर कार्रवाई नहीं

खोरी को गिराया गया तो फार्म हाउसों को भी हटाना पड़ेगा, उस आंच को रोकने के लिए हो रही है कवायद

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: अरावली जोन में खोरी की आड़ में वन विभाग की जमीन पर बने फार्म हाउसों और तमाम अवैध निर्माणों को बचाने की जांच होने पर उसकी आंच बड़े लोगों तक नहीं पहुंचे, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। फरीदाबाद पुलिस नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) में इन दिनों उन फाइलों की तलाश कर रही है, जहां फार्म हाउसों के रेकॉर्ड रखे हुए हैं। दरअसल, सूरजकुंड पुलिस को भेजे गए दो पत्र उसके जी का जंजाल बन गए हैं। खोरी के टूटने पर फार्म हाउसों और बाकी अवैध निर्माणों का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वे दोनों पत्र कोर्ट में बतौर सबूत पेश होंगे, उस समय पुलिस के पास बचाव का रास्ता नहीं होगा। अरावली में खोरी समेत सभी अवैध निर्माणों में सिर्फ माफिया ही नहीं, सिर्फ एमसीएफ ही नहीं, इसमें स्थानीय पुलिस और नेताओं और अफसरों का गठजोड़ सामने आया है।

सूत्रों ने बताया कि दो दिन पहले सूरजकुंड पुलिस के कुछ जांच अधिकारी एमसीएफ में पहुंचे और उन्होंने उन फाइलों की मांग की, जिसमें फार्म हाउसों की जानकारी हो। ऐसी किसी फाइल की जानकारी होने से एमसीएफ के कर्मचारी जांच अधिकारियों से इन्कार करते रहे। जांच अधिकारियों को इधर से उधर भेजा गया, लेकिन कहीं से कोई पुख्ता जानकारी पुलिस के जांच अफसरों को नहीं मिली।

तीन साल पहले 2018 में एमसीएफ के तत्कालीन कमिश्नर मोहम्मद शाइन ने अरावली इलाके में 80 फार्म हाउस बनने पर एफआईआर दर्ज कराई थी और एसएचओ सूरजकुंड से कार्रवाई को कहा था। ये 80 फार्म हाउस हरियाणा में लागू पंजाब भूमि संरक्षण कानून (पीएलपीए) के तहत आने वाली जमीनों पर बने थे। इस एक्शन के बाद मोहम्मद शाइन का यहां से तबादला हो गया था। सूरजकुंड पुलिस ने इस मामले को पूरी तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसने एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या कार्रवाई की, कोई नहीं जानता। इसके बाद 15 अप्रैल 2021 को एक आखिरी पत्र एमसीएफ के एक अधिकारी ने एसएचओ सूरजकुंड को भेजा। उस पत्र में अवैध फार्म हाउस मालिकों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई का आग्रह एसएचओ से किया गया था। अप्रैल वह समय था जब लॉकडाउन के दौरान अरावली जोन में उज्जवल फार्म हाउस से लेकर तमाम रसूखदारों के फार्म हाउस खड़े किए जा रहे थे। इस समय फरीदाबाद के अरावली जोन में करीब 150 फार्म हाउस पीएलपीए जमीन पर बन चुके हैं।

ये जमीन अवतार भड़ाना की है

सूरजकुंड रोड पर आप सेक्टर 21 की तरफ से जैसे-जैसे सड़क पर आप बढ़ेंगे, तमाम फार्म हाउस और अन्य अवैध निर्माण आपको नजर आएंगे। इसमें पीएलपीए लैंड पर शराब के ठेके तक चल रहे हैं, जिनकी कमाई इसका अवैध कब्जेदार खा रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आप को रोड़ी, बदरपुर सड़क के किनारे फैला हुआ नजर आएगा। वहां पर बड़े-बड़े शब्दों में लिखा

शेष पेज दो पर

नई और पुरानी खोरी का मुद्दा उठा

खोरी का अतिक्रमण हटाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला 7 जून को आया था। अदालत ने डेढ़ महीने का समय एमसीएफ और जिला प्रशासन को दिया था। एक महीना निकल चुका है और खोरी अपनी जगह कायम है। एमसीएफ जैसे ही कार्रवाई शुरू करना चाहता है, कार्रवाई रोकने का मौखिक आदेश आ जाता है।

इस बीच बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने नई खोरी और पुरानी खोरी के मामले को उठाया है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा का कहना है कि खोरी डेरा के दो पार्ट हैं। खोरी की नई आबादी पिछले दस वर्षों से पीएलपीए जमीन पर रह रही है। लेकिन खोरी का पार्ट 2 दरअसल 70 वर्षों से आबाद है। लेकिन एमसीएफ ने दोनों डेरों को मिलाकर एक कर दिया और इसे खोरी नाम दे दिया। इस तरह पूरी खोरी को गिराने का आदेश है जो सही नहीं है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा इस संबंध में अदालत में भी जनहित याचिका लगाने जा रहा है लेकिन एमसीएफ दोनों खोरी की स्थिति स्पष्ट करे। वह पुराने खोरी यानी पार्ट 2 को गिराने के बारे में जरा भी न सोचें। स्वामी अग्निवेश की लंबी लड़ाई के बाद बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास करने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कई निर्देश दिए थे। इनके लिए 365 मकान भी हरियाणा सरकार ने बनाए थे। लेकिन आजतक उन मकानों में मजदूरों का पुनर्वास नहीं किया गया। खोरी डेरा उसी का हिस्सा है।

बहरहाल, मजदूर आवास संघर्ष समिति ने खोरी को उजाड़ने से पहले पुनर्वास की मांग फिर दोहराई है। उसने मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा है।

डीजीपी हरियाणा पद के लिये मचा है घमासान

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

चंडीगढ़ : आईबी से उधारे मांग कर लादे डीजीपी गये मनोज यादव द्वारा हाथ खड़े कर दिये जाने से राज्य के लिये नये पुलिस चीफ को चुनने की प्रक्रिया बीते करीब दो सप्ताह से चल रही है। मौजूदा व्यवस्था के तहत राज्य को अपने छः उपयुक्त आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल यूपीएससी को भेजना होता है, जो भेजा जा चुका है। इस पैनल में प्रशान्त कुमार अग्रवाल मोहम्मद अकील, आरसी मिश्रा, संजीव जैन, शत्रुजीत कपूर व देशराज सिंह शामिल हैं। इन सबसे वरिष्ठ दो आईपीएस अधिकारियों-सुरजीत सिंह देशवाल तथा कृष्ण कुमार सिंधू को छोड़ दिया गया है क्योंकि वे अगले महीने सेवा निवृत होने वाले हैं।

निर्धारित नियमानुसार यूपीएससी उक्त पैनल में से तीन नाम का पैनल वापस राज्य को भेजेगा। उन तीनों में से किसी एक को चुनने का अधिकार राज्य सरकार को होगा। कहने को बेशक यूपीएससी अपनी समझ से पैनल का चुनाव करती है। परन्तु जब डबल इंजन की सरकार हो तो राज्य सरकार अपनी मनमर्जी एवं पसंद के अफ़सर का चुनाव करवा ही लेती है। खट्टर की प्रथम पसंद रहे शत्रुजीत कपूर के चुने जाने की काफ़ी प्रबल सम्भावनायें व्यक्त की जा रही हैं। इसके पीछे पंजाबी वाद को बड़ा कारण समझा जा रहा है।

दूसरी ओर कपूर के धुर विरोधी समझे जाने वाले गृह मंत्री अनिल विज किसी भी कीमत पर उन्हें डीजीपी के पद पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं दिखते हैं। उनके चुनाव क्षेत्र अम्बाला कैंट स्थित सूत्र तो यहां तक कहने से गुरेज नहीं करते कि यदि कपूर को डीजीपी बनाया गया तो विज मंत्री पद से ही इस्तीफ़ा दे देंगे। बेशक यह दावा तो बहुत बड़ा है परन्तु अनिल विज में इतना दम दिखाई नहीं देता; हां, एक सम्भावना जरूर व्यक्त की जा रही है कि आरएसएस में अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए वे दिल्ली से ही कपूर का नाम कटवा सकते हैं।

मनोज यादव, डीजीपी हरियाणा

यदि ऐसा हुआ तो पीके अग्रवाल, मोहम्मद अकील व आरसी मिश्रा के बीच घमासान होगा। जहां एक ओर आरसी मिश्रा के समर्थन में राम बिलास शर्मा के नेतृत्व में ब्राह्मण लॉबी पूरा जोर लगायेगी, दूसरी ओर यूपी चुनाव के मद्देनज़र मुस्लिम वोटों को साधने के लिये मोहम्मद अकील के भागों छींका टूट सकता है। बहरहाल, डीजीपी कोई भी बने राज्य की जनता को पुलिसिया लूट-पाट व प्रताड़ना से कोई राहत मिलने की सम्भावना नहीं दिखती।

इसी तरह चौकी इंचार्ज, थाने का एसएचओ, ज़िले का एसपी, सीपी, रेंज आईजी लगने के लिये भी अपने-अपने स्तर का घमासान आये दिन पुलिस महकमे में चलता रहता है। इन तमाम मलाईदार एवं लूट-मार की तैनातियों को पाने एवं बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी, राजनेताओं की चापलूसी करने में किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर राज्य का डीजीपी पद तो सर्वोपरि है, इसे पाने के लिये तो अधिकारी कुछ भी कर सकता है।